



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा गोवध मामले में वांछित 25 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा गोवध मामले में वांछित 25 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो कि थाना तिन्दवारी पर दिनांक 07.03.2025 गोवध मामले में मु0अ0सं0 30/25 अभियुक्त अयूब खान उर्फ अईया पुत्र मंजूर खान निवासी रंजीतपुर थाना नरैनी जनपद बांदा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था जिसमें अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा था जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था । इसी क्रम में थाना तिन्दवारी पुलिस द्वारा अभियुक्त को कल दिनांक 02.07.2025 को देर शाम थाना नरैनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है । बता दें कि अभियुक्त पर पूर्व में भी थाना नरैनी में मारपीट, हत्या के प्रयास व थाना मटौन्ध में गोवध के मामले में अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अयूब खान उर्फ अईया पुत्र मंजूर खान निवासी रंजीतपुर थाना नरैनी जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 30/25 धारा 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0 व 11(1)घ पशु क्रूरता अधि थाना तिन्दवारी जनपद बांदा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अयूब खान उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 199/24 धारा 3/5क/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 11(1)घ पशु क्रूरता अधि थाना मटौन्ध जनपद बांदा ।
2. मु0अ0सं0- 34/19 धारा 147/148/307/323/336/427/504/506 भादवि थाना नरैनी जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0निरी0 तिन्दवारी श्री सुरेश कुमार सैनी
2. उ0नि0 श्री शिवाजी मौर्य
3. हे0का0 बृजेश कुमार
4. कां0 अमन कोष्टा